



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

संख्या- 488 राँची, मंगलवार, 21 आश्विन, 1942 (श०)  
13 अक्टूबर, 2020 (ई०)

---

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

-----  
अधिसूचना

04 सितम्बर, 2020

संख्या- 03/पद-1(ग)-01/2015 का.- 4386-- श्री अनन्त कुमार, झा0प्र0से0 (प्रथम बैच, गृह जिला-चतरा) को सचिव, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (माडा), धनबाद के पद पर पदस्थापन संबंधी अधिसूचना संख्या- 4233 दिनांक 28.08.2020 को विलोपित करते हुए उन्हें अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, बेरमो (बोकारो) के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत बेरमो अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

संख्या- 03/पद-1(ग)-01/2015 का.- 4387-- श्री जीतेन्द्र कुमार देव, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 808/03, गृह जिला- देवघर) अनुमण्डल पदाधिकारी, गुमला को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, महागामा (गोड्डा) के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्री देव को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत महागामा अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

**संख्या- 03/पद-1(ग)-01/2015 का.- 4388-- मो0 मुमताज अंसारी, झा0प्र0से0 (द्वितीय बैच, गृह जिला- गुमला) अंचल अधिकारी, चन्दवा, लातेहार की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से वापस लेते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।**

ii. मो0 अंसारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत चतरा अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

**संख्या- 03/पद-1(ग)-01/2015 का.- 4389-- श्री सुरेन्द्र कुमार, झा0प्र0से0 (द्वितीय बैच, गृह जिला- हजारीबाग) जिला परिवहन पदाधिकारी, सरायकेला- खरसावाँ की सेवा परिवहन विभाग से वापस लेते हुए उन्हें अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है।**

ii. श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत धनबाद अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

**संख्या- 03/पद-1 (ग)-01/2015 का.- 4390-- श्री राम कृष्ण कुमार, झा0प्र0से0 (द्वितीय बैच, गृह जिला- गोड्डा) सहायक निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण, राँची की सेवा नगर विकास एवं आवास विभाग से वापस लेते हुए उन्हें अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला के पद पर पदस्थापित किया जाता है।**

ii. श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत सरायकेला अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

**संख्या- 03/पद-1(ग)-01/2015 का.- 4391-- श्री सत्यवीर रजक, झा0प्र0से0 (द्वितीय बैच, गृह जिला- दुमका) कार्यपालक दण्डाधिकारी, खूँटी को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, घाटशिला (पूर्वी सिंहभूम) के पद पर पदस्थापित किया जाता है।**

ii. श्री रजक को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत घाटशिला अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

**संख्या- 03/पद-1(ग)-01/2015 का.- 4392-- मो0 जियाउल अंसारी, झा0प्र0से0 (प्रथम बैच, गृह जिला- गोड्डा) अवर सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।**

ii. मो0 अंसारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत गढ़वा अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

**संख्या- 03/पद-1(ग)-01/2015 का.- 4393-- श्री राजेश कुमार लिंडा, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक 744/03, गृह जिला- राँची) कार्यपालक दण्डाधिकारी, बगोदर सरिया (गिरिडीह) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, रंका (गढ़वा) के पद पर पदस्थापित किया जाता है।**

ii. श्री लिंडा को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत रंका अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

**संख्या- 03/पद-1(ग)-01/2015 का.- 4394-- श्री अरविन्द कुमार लाल, झा0प्र0से0** (प्रथम बैच, गृह जिला- राँची) जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला की सेवा खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से वापस लेते हुए उन्हें अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्री लाल को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत लोहरदगा अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

**संख्या- 03/पद-1(ग)-01/2015 का.- 4395-- श्री हरिवंश पण्डित, झा0प्र0से0** (प्रथम बैच, गृह जिला- गिरिडीह) अनुमण्डल पदाधिकारी, महागामा, गोड्डा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, राजमहल (साहेबगंज) के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्री पण्डित को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत राजमहल अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

**संख्या- 03/पद-1(ग)-01/2015 का.- 4396-- श्री रंजीत लोहरा, झा0प्र0से0** (द्वितीय बैच, गृह जिला- राँची) अंचल अधिकारी, बोड़ाम, पू0 सिंहभूम, जमशेदपुर की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से वापस लेते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, चाण्डिल (सरायकेला- खरसावाँ) के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्री लोहरा को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत चाण्डिल अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

**संख्या- 03/पद-1(ग)-01/2015 का.- 4397-- श्री संजय पाण्डेय, झा0प्र0से0** (प्रथम बैच, गृह जिला- देवघर) अनुमण्डल पदाधिकारी, रंका, गढ़वा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्री पाण्डेय को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत जामताड़ा अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

**संख्या- 03/पद-1(ग)-01/2015 का.- 4398-- श्री जय बर्द्धन कुमार, झा0प्र0से0** (द्वितीय बैच, गृह जिला- सुपौल) अंचल अधिकारी, टुण्डी, धनबाद की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से वापस लेते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, श्री बंशीधर नगर (गढ़वा) के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत श्री बंशीधर नगर अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

**संख्या- 03/पद-1(ग)-01/2015 का.- 4399-- श्री विद्या भूषण कुमार, झा0प्र0से0** (द्वितीय बैच, गृह जिला- अरवल (बिहार)) उप निर्वाची पदाधिकारी, गुमला की सेवा मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग से वापस लेते हुए उन्हें अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत हजारीबाग अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

**संख्या- 03/पद-1(ग)-01/2015 का.- 4400-- श्री शशीन्द्र कुमार बड़ाईक, झा0प्र0से0** (द्वितीय बैच, गृह जिला- लोहरदगा) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिमडेगा सदर की सेवा ग्रामीण विकास विभाग से वापस लेते हुए उन्हें अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्री बड़ाईक को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत चाईबासा अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

**संख्या- 03/पद-1(ग)-01/2015 का.- 4401-- श्री शंकर एक्का, झा0प्र0से0** (द्वितीय बैच, गृह जिला- राँची) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पालकोट, गुमला की सेवा ग्रामीण विकास विभाग से वापस लेते हुए उन्हें अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, जगन्नाथपुर (प0 सिंहभूम) के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्री एक्का को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत जगन्नाथपुर अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

**संख्या- 03/पद-1(ग)-01/2015 का.- 4402-- श्री शेखर कुमार, झा0प्र0से0** (द्वितीय बैच, गृह जिला- राँची) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बसंतराय, गोड्डा की सेवा ग्रामीण विकास विभाग से वापस लेते हुए उन्हें अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत लातेहार अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

**संख्या- 03/पद-1(ग)-01/2015 का.- 4403-- श्री महेन्द्र कुमार, झा0प्र0से0** (द्वितीय बैच, गृह जिला- राँची) अंचल अधिकारी, भण्डरा, लोहरदगा की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से वापस लेते हुए उन्हें अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत सिमडेगा अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

**संख्या- 03/पद-1(ग)-01/2015 का.- 4404-- श्री संजय पी0 एम0 कुजूर, झा0प्र0से0** (कोटि क्रमांक- 782/03, गृह जिला- राँची) अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, बसिया (गुमला) के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्री कुजूर को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत बसिया अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

**संख्या- 03/पद-1(ग)-01/2015 का.- 4405-- श्री अजय सिंह बड़ाईक, झा0प्र0से0 (प्रथम बैच, गृह जिला- गुमला) जिला कल्याण पदाधिकारी, देवघर अतिरिक्त प्रभार- सक्षम प्राधिकार, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), जसीडीह, देवघर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर सदर (पलामू) के पद पर पदस्थापित किया जाता है।**

ii. श्री बड़ाईक को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत मेदिनीनगर सदर अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

II. वैसे पदाधिकारी जिनके स्थान पर किसी अन्य का पदस्थापन हो गया है एवं उनका पदस्थापन कहीं नहीं किया गया है, वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अशोक कुमार खेतान,**  
सरकार के संयुक्त सचिव।

-----